

जिला हनुमानगढ़।
— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धार 88, 188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा
उपस्थित अभिभाषकगण

1. अधिवक्ता अनिल शर्मा — वादीगण
2. अधिवक्ता श्री बलराम महेन्द्रा — प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

निर्णय दिनांक :- 05/02/21

वादी की ओर श्री अनिल शर्मा व प्रतिवादीगण ओर से श्री बलराम महेन्द्रा अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 05/02/21 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर राजीनामा अनुसार वाद वादी डिक्री करते हुये घोषणा की जाती है कि :-

1. वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित भूमि चक 19 एचएमएच के पत्थर नम्बर 126/288 (58) के किला नम्बर 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 कुल 2.699 हैक्. पत्थर नम्बर 126/289 (59) किला नम्बर 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 कुल 0.168 हैक्. कुल 2.867 हैक्. में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के साथ ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बिरानी/गेरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे।

यह डिक्री आज दिनांक 05/02/21 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

(कपिल यादव)

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़



मिलान किया
.....